



F-07-07

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O.,  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 1842 / Type Approval No. 1842**

**मद/FOR ITEM: पोलिसल्फाइड सीलेंट / "Polysulphide sealant"**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स चोक्सी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, 111 इन्डस्ट्रियल एरिया शिव (ई), मुंबई -22 द्वारा अभिकल्पित एवं उत्पादित "पोलिसल्फाइड सीलेंट", पार्ट सं. टेकसील आरडीएल 214-एस को असेम्बली आरेखन सं. 201एस 521एच 3200 001 एलएच/002 आरएच रिविजन सं./ सीएच एलईटी सं. एफ, दिनांक 25 जून 2014 के अनुसार आपातकालीन द्वार और स्लाइडिंग द्वार के बीच में सीलिंग गैप के रूप में ए एल एच सेना हेलिकॉप्टर्स में उपयोग करने के लिए उत्पादन हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल) के समन्वय से नियंत्रित तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं. एएमएस-एस-7124, रिविजन:बी, और टेस्ट शेड्यूल सं. आरसीएमए(एफ एण्ड एफ-एफ ओ एल)/एलएच/सीलेंट/01, इश्यू सं. 01, दिनांक 20 मार्च 2013, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न " वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट " में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Polysulphide sealant" bearing the Part No.: Techseal RDL 214-S Developed & produced by M/s. Choksey Chemical Pvt Ltd 111, Industrial Area Sion (E) Mumbai -22, is hereby approved for production to use as sealing of gaps between Emergency Exit door & sliding door assembly, as per Assembly Drawing No.: 201S 521H 3200 001 LH / 002 RH Rev. No./CH LET No.: F, Dt: 25<sup>th</sup> June 2014, for use in ALH Military Helicopters. It has been tested in co-ordination with RCMA (F&F-FOL) as per Governing Technical Specification Doc No.: AMS-S-7124, Rev.: B, and Test Schedule No.: RCMA (F&F - FOL) /ALH/SEALANT/ 01, Issue No.01, Dt.20<sup>th</sup> Mar 2013. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2019 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाए और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2019 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (F&F-FOL), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.*

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1842

दिनांक/Date : 11 Dec 2014

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

10/12/14

  
(पी.जयपाल /P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)